EM DECHT IN 0031+11+52281532

0:25841282

P.1/2



INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH KRISHI BHAVAN: NEW DELHI

F.No. 8(4)/2006-Cash-I

Dated 14th September, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Domestic Corporate deal between ICAR & Air India Ltd. - Deal Code No. D095 - reg.

This is in continuation to ICAR Circular No. vide F.No.5(9)/2004-CDN doted 30-08-2011, in which corporate deal with Air India was validated for this calendar year. In this connection following points are also added for effective implementation of this corporate agreement.

- 1. As per corporate agreement any tickets booked on account of TA/LTC from Air India counters/Authorized Travel Agents/online booking of Air India website should be booked only after endorsing the above deal code except for LTC 80 tickets. However, it is pertinent to mention here that while booking online through Air India website, there is no facility of endorsing deal code. This matter has already been taken up with Air India and their website is undergoing some technical modification, after that endorsement of deal code while booking online in their website, would also be provided. Till that time, we may allow online booking without deal code endorsement as it is already offering 10% instant discount in fares without loosing any financial benefit.
- 2. It is observed that still some of the Institutes are booking their air tickets from un-authorized agents, resulting in loss in terms of cash back from Air India being a corporate member. In this regard it is intimated that any tickets booked other than three sources mentioned above would be un-authorized booking and should not be paid from Govt. account.
- 3. This issues with the approval of Director-General, ICAR.

(SANJAY GUPTA)
DIRECTOR (Admin. & Cash)

DISTRIBUTION :-

- 1. All Directors/Project Directors of ICAR Research Institutes/NRCs/Burcaus/ZCUs
- 2. Director (Fin.)/CF&AO/SF&AO/F&AO of the Institutes/National Research Centres/Bureaux/Project Directorates of ICAR & ICAR Headquarters.
- 3. Shri Hans Raj, Information System Officer (DIPA), KAB-I, New Delhi for posting the above mentioned letter in the ICAR Web-site.
 - 4. Guard File.



भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद कृषि भवन : नई दिल्ली

फा.स.a(4) / 2006-रोकड़-1

दिनांक 14 सितम्बर, 2011

कार्यालय जापन

विषय :-- - घरेलू कार्पोरेट कोड जो कि भा.कृ.अनु.परि, और एयर इड़िया के बीच ड़ील कोड संख्या ड़ी -095 के सम्बन्ध में।

भा.कृ.अनु.परि, और एयर इड़िया के बीच डील कोड संख्या डी—095 के संदर्भ में जो हमारे परिपन्न मिसिल संख्या 5(9)/2004—समन्वय दिनांक 30—08—2011 द्वारा यह करार इस साल के लिए नवीनीकरण करवाया गया। इस विषय में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये जिससे कि ये कार्पोरेट करार सुदृढ रूप से चलाया जा सके।

- 1. कार्पोरेट करार के अनुसार कोई भी टिकट जो कि टी.ए./एल.टी.सी. के लिए करवाया जाये वो एयर इड़िया के काउन्टर/प्राधिकृत यात्रा एजेन्ट/एयर इड़िया के वेबसाईट द्वारा ही करवाई जाये एवं उसमें हमारा डील कोड़ वर्णित हो, सिर्फ एल.टी.सी. 80 की टिकटों को छोड़कर। लेकिन एयर इड़िया के वेब साईट द्वारा फिलहाल ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए उनके वेब साईट में कुछ फेरबदल चल रहा है जिसके पश्चयात ये सुविधा उपलब्ध होगी। जब तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तब तक विना डील कोड़ के आन—लाईन बुकिंग करवाई जा सकती है जो कि 10% तत्कालिक छूट प्रदान करती है एवं जिसमें किसी प्रकार का वित्तिय नुकसान नहीं है।
 - यह पाया गया है कि अभी भी कुछ संस्थान हवाई यात्राओं की टिकट अनाधिकृत एजेन्टों द्वारा करवा रहे हैं जिससे कि हमें कार्पोरेट मैम्बर होने पर, एयर इड़िया से कैंश बैक नहीं मिल पा रहा है जो कि हमारे लिए नुकसान है। इस विषय में यह कहा जाता है कि कोई भी हवाई यात्रा की टिकट जो कि उपर वर्णित किये गये के अलावा करवाये जायेगें वे अनाधिकृत बुकिंग माने जायेगें और जिनका भुगतान सरकारी खाते से नहीं होगा।
 - 3. यह महानिदेशक, भा.कृ.अनु.परि. की अनुमित से जारी किया जा रहा है।

(संजय गुप्सी) निदेशक (प्रशासन एवं रोकड़)

वितरण:-

- भा.कृ.अनु.परि. के सभी संस्थानों / परियोजना निदेशक / एन.आर.सी. / ब्यूरो / जोनल कार्डिनेटर / के निदेशक ।
- भा.कृ.अनु.परि. के सभी संस्थानों / परियोजना निर्देशक / एन.आर.सी. / ब्यूरो / जोनल कार्डिनेटर / के निर्देशक (वित्त) / मुख्य एफ.एवं ए.ओ. / एफ.एवं ए.ओ. ।
- 3. श्री हंस राज, सूचना अधिकारी (दीपा) को इस अनुरोध के साथ कि-इस कार्यालय ज्ञापन को भा.कृ.अनु.परि. की वेब साईट में डालने के लिए।

4. गार्ड फाइँस